भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3117
दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

बाल सुधार गृह

3117. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः
श्री पिनाकी मिश्राः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में पंजीकृत बाल सुधार गृहों की संख्या काफी कम है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश में लापता बच्चों की संख्या का पता लगाने और उक्त के लिए एक कोष बनाने हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार ने लापता बच्चों का पता लगाने के लिए कोई चेहरे से पहचान/आधार आधारित निगरानी प्रणाली का प्रस्ताव दिया है; और
(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2014 से 2019 के लिए लापता बच्चों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रत्येक जिले अथवा जिला समूह में या तो स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठन द्वारा कानून के उल्लंघन के आरोपित बच्चों को अस्थायी रूप से ग्रहण करने अथवा कथित रूप से अपराध करते पाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए अवलोकन गृह तथा विशेष गृह स्थापित करने और रख-रखाव करने का प्रावधान है। मंत्रालय बाल संरक्षण सेवाएं (सीपीएस) स्कीम (भूतपूर्व समेकित बाल संरक्षण स्कीम) कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को शेयरिंग विधि द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए गृह सहित विभिन्न प्रकार के गृहों को स्थापित करना और उनका रख-रखाव शामिल है। अधिनियम और स्कीम को कार्यान्वित करने का प्रमुख दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए सीपीएस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त

अवलोकन गृहों और विशेष गृहों की संख्या का 28.11.2019 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक । पर दिया गया है।

(ग) से (ड.) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ''ट्रैक चाइल्ड'' और ''खोया-पाया'' वेब पोर्टल क्रमश: 2012 और 2015 में विकसित किए हैं ताकि खोए और पाए गए बच्चों का पता लगाया जा सके। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल विभिन्न स्टेकहोल्डरों, जिसमें गृह मंत्रालय (एमएचए), रेल मंत्रालय, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आदि शामिल हैं, के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है और ''खोया-पाया'' को ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर सिटिजन कार्नर के रूप में समेकित किया गया है।

डब्ल्यूपी (सीआरएल) 869/1998 नीतू थ्रू रेवती राम बनाम राज्य के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए एक मकैनिज्म विकसित किया गया है ताकि खोए हुए बच्चों, बरामद किए गए बच्चों और पारिस्थितियों के कारण संस्थागत तथा गैर संस्थागत देखरेख में रह रहे बच्चों, जिन्हें ट्रैक चाइल्ड में 'खोया हुआ' माना गया है, की मेल न खा रही छवियों को नियमित आधार पर दिल्ली पुलिस के साथ कॉमन सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (एसएफटीपी) सर्वर एरिया के माध्यम से 16 मई, 2018 के बाद से साझा किया जा सके। साझा किए गए प्रोटोकॉल दस्तावेज के अनुसार दिल्ली पुलिस भी उसी एसएफटीपी सर्वर एरिया में फेशल रिकोगनिशन सॉफ्टवेयर (एफआरएस) के परिणाम मुहैया करवा रही है।

01.01.2014 से 04.12.2019 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए और पोर्टलों में अपलोड किए गए खोए हुए बच्चों की संख्या का विवरण अनुलग्नक ।। पर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-**I**

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए **28.11.2019** को सीपीएस, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के तहत समर्थित अवलोकन गृह और विशेष गृह की संख्या का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अवलोकन गृह	लाभार्थी	विशेष गृह	लाभार्थी	अवलोकन सह विशेष गृह	लाभार्थी	सुरक्षा का स्थान	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	12	131	2	29	2	127	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	30	0	0
3	असम	5	120	1	10	0	0	1	2
4	बिहार	12	860	1	20	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	13	448	6	61	0	0	3	81
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	3	31	0	0	0	0	0	0
8	हरियाणा	4	295	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	2	32	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	5	281	2	0	0	0	0	0
11	झारखंड	10	405	1	11	0	0	0	0
12	कर्नाटक	16	156	1	19	0	0	0	0
13	केरल	9	25	2	3	0	0	1	6
14	मध्य प्रदेश	18	448	3	55	0	0	0	0
15	महाराष्ट्र	55	1748	0	0	0	0	0	0
16	मणिपुर	4	40	0	0	1	40	0	0
17	मेघालय	3	48	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	8	145	2	61	0	0	0	0
19	नागालैंड	12	90	2	13	0	0	0	0
20	ओडिशा	0	0	0	0	4	298	0	0
21	पंजाब	4	137	2	52	0	0	0	0
22	राजस्थान	34	504	0	0	0	0	0	0
23	सिक्किम	3	55	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	8	309	2	75	0	0	1	30
25	त्रिपुरा	3	7	1	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	26	1936	2	5	0	0	1	8
27	उत्तराखंड	9	79	2	22	0	0	2	19
28	पश्चिम बंगाल	6	160	0	0	5	510	0	0
29	तेलंगाना	7	164	1	49	1	76	0	0
30	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	1	22	0	0	0	0	0	0
32	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4	261	1	12	0	0	1	37
36	पुडुचेरी	2	3	0	0	0	0	0	0
	कुल	**296**	**8908**	**34**	**497**	**16**	**1113**	**10**	**183**

अनुलग्नक-**II**

01.01.2014 से **04.12.2019** तक पुलिस के विभिन्न हितधारकों द्वारा दर्ज आंकड़ों की स्थिति		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लापता
1	अंडमान और निकोबार	177
2	आंध्र प्रदेश	5055
3	अरुणाचल प्रदेश	53
4	असम	2616
5	बिहार	4245
6	चंडीगढ़	553
7	छत्तीसगढ़	12963
8	दादरा और नगर हवेली	0
9	दमन और दीव	57
10	दिल्ली	37418
11	गोवा	509
12	गुजरात	43658
13	हरियाणा	5491
14	हिमाचल प्रदेश	537
15	जम्मू और कश्मीर	269
16	झारखंड	618
17	कर्नाटक	24478
18	केरल	3543
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	52272
21	महाराष्ट्र	18530
22	मणिपुर	0
23	मेघालय	676
24	मिजोरम	14
25	नागालैंड	0
26	ओडिशा	6293
27	पुद्दुचेरी	131
28	पंजाब	2711
29	राजस्थान	6175
30	सिक्किम	279
31	तमिलनाडु	13534
32	तेलंगाना	2349
33	त्रिपुरा	122
34	उत्तराखंड	1876
35	उत्तर प्रदेश	23802
36	पश्चिम बंगाल	47744
	कुल	**318748**